"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2019 — आषाढ़ 27, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 27, 1941)

क्रमांक-8243/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (तेरह-क) का लोप किया जाये.

धारा 13 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

(1) उप-धारा (4) के खण्ड (दो) के परन्तुक का लोप किया जाये; तथा

(2) उप-धारा (6) के परन्तुक का लोप किया जाये.

धारा 17 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(1) उप-धारा (4) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये; तथा

(2) उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और कि" का लोप किया जाये.

धारा 23 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 23 में,-

(1) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के परन्तुक का लोप किया जाये; तथा

(2) उप-धारा (5) के परन्तुक का लोप किया जाये.

धारा 25 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) में, प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये.

धारा 30 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(1) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये;

(2) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और कि" का लोप किया जाये; तथा

(3) उप-धारा (5) के परन्तुक का लोप किया जाये.

धारा 32 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में, प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान प्रचलित है, -

(1) धारा 2 के खण्ड "(तेरह-क) "एक चक्रानुक्रम" से अभिप्रेत है निरंतर दो आम चुनाव, किन्तु जब कभी भी परिसीमन, नवीनतम जनगणना या अन्यथा के आधार पर किया जाता है, तो ऐसे परिसीमन के प्रकाशन के बाद आयोजित चुनाव को प्रथम चुनाव के रूप में माना जायेगा"; तथा

(2) धारा 13, 17, 23, 25, 30 एवं 32 के परन्तुक में, "परन्तु पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी".

और यत:, दो सामान्य निर्वाचन की अवधि होने से ग्राम पंचायत के परिसीमन तथा ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत के वार्डो के निर्वाचन में, एक ही वर्ग के उम्मीदवार को दो बार, आरक्षण का लाभ उपलब्ध होने के फलस्वरूप, अन्य वर्गों के उम्मीदवार को समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था.

अतएव, उक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिये, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में संशोधन करने का विनिश्चय किया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 15 जुलाई, 2019

टी. एस. सिंहदेव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा-2 का खंड (तेरह-क), धारा 13 की उपधारा (4) के खंड (दो) व उपधारा (6) का परन्तुक, धारा 17 की उपधारा (4) का प्रथम एवं द्वितीय परंतुक, धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (दो) व उपधारा (5) के परंतुक, धारा 25 की उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक, धारा 30 की उपधारा (3) के खंड (दो) का प्रथम एवं द्वितीय परंतुक व उपधारा (5) का परंतुक एवं धारा 32 की उपधारा (2) के परन्तुक का सुसंगत उद्धरण

1. **मूल अधिनियम की धारा-2 (तेरह-क)-**

"एक चक्रानुक्रम" से अभिप्रेत है, निरंतर दो आम चुनाव, किन्तु जब कभी भी परिसीमन, नवीनतम जनगणना या अन्यथा के आधार पर किया जाता है, तो ऐसे परिसीमन के प्रकाशन के बाद आयोजित चुनाव को प्रथम चुनाव के रूप में माना जायेगा.

2. **मूल अधिनियम की धारा - 13 की -**

(1) **उपधारा (4) का खंड (दो) का परन्तुक -**

"परन्तु पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी".

(2) **उपधारा (6) का परन्तुक -**

"परन्तु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

3. मूल अधिनियम की धारा - 17 कि-

(1) उपधारा (4) का प्रथम परन्तुक -

"परन्तु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

(2) उपधारा (4) का द्वितीय परन्तुक -

"परन्तु यह और कि ऐसी ग्राम पंचायत को, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनूसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या नहीं है, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित स्थानों के आबंटन से अपवर्जित कर दिया जायेगा."

4. मूल अधिनियम की धारा - 23 कि-

(1) उपधारा (3) के खण्ड (दो) का परन्तुक -

"परन्तु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

(2) उपधारा (5) का परन्तुक -

"परन्तु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

5. मूल अधिनियम की धारा - 25 की उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक -

"परन्तु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

6. मूल अधिनियम की धारा-30 कि -

(1) उपधारा (3) के खण्ड (दो) का प्रथम परन्तुक -

"परन्तु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

(2) उपधारा (3) के खण्ड (दो) का द्वितीय परन्तुक -

"परन्तु यह और कि उस जिले का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसी जिला पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिये उस जिले के भीतर आने वाले अनूसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जायेगी."

(3) उपधारा (5) का परन्तुक -

"परन्तु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

7. मूल अधिनियम की धारा - 32 की उप धारा (2) का प्रथम परन्तुक -

"परन्तु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.